न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/16	21.06.2023	136 LR Act	२० .05.2024

बउनवान

01:–श्री बत्तन देवी पत्नि स्व0 बद्री प्रसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर

—प्रार्थी

बनाम

01:–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर

असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी बत्तन देवी पत्नी स्व0 बद्री प्रसाद जाति कुम्हार निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर की रहने वाली है प्रार्थीनी के पति बद्री पुत्र मूल चन्द का र्स्वगवास दिनॅाक 03–04–2016 को उमरैण मे हो गया जिसकी प्रार्थीनी बेवा है बद्री का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया प्रार्थीनी का पति ब्रदी पुत्र मूलचन्द की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 539 रकबा 0.27 है0, 541 रकबा 0.06 है0, 544 रकबा 0.17 है0, कुल किता 03 रकबा 0.50 है0, वाके ग्राम सुकल तहसील अलवर मे 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार था प्रार्थीनी के पति के मरने के बाद उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रही है व मौके पर काबिज है। हाल जमाबन्दी मे प्रार्थीनी के पति का नाम बद्री पुत्र गुलाब दर्ज किया गया है कि जो एक क्लेरीकल मिस्टेक है कि जो कम्पयूटर की गलती से हुई है जबकि वास्तव मे प्रार्थीनी के पति बद्री के पिता का नाम मूलचन्द है। प्रार्थीनी के पति की अन्य आराजी ग्राम सुकल मे खसरा नम्बर 639 रकबा 0.26 है0, जिसका खाता स0 14 है व आराजी खसरा नम्बर 532/2200 रकबा 0.05 है0, 533 रकबा 0.01 है0, 534 रकबा 0.64 है0, 535 रकबा 0.08 है0, 536 रकबा 0.12 है0, 536/2270 रकबा 0.01 है0, 540 रकबा 0.05 है0, है। जिसमे बद्री प्रसाद पुत्र मूलचन्द का हिस्सा है जिसका खाता स0 15 है जिसमे भी बद्री प्रसाद पुत्र मूल चन्द दर्ज है। प्रार्थीनी के पति का नाम बद्री पुत्र मूल्या, आधार कार्ड स0 722743792729 मे प्रार्थीनी के पति का नाम बद्री प्रसाद पुत्र मूलचन्द व राशनकार्ड मे भी बद्री प्रसाद पुत्र मूलचन्द दर्ज है राशनकार्ड मे प्रार्थीनी का नाम पत्नि के स्थान बत्तन देवी पत्नि मूलचन्द दर्ज है वोटर लिस्ट मे भी बद्री पुत्र मूल्या

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

236 नम्बर पर दर्ज है व मतदाता सूची मे भी बद्री पुत्र मूल्या दर्ज है उक्त दस्तावेजात की फोटो कापी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये है उपरोक्त सभी दस्तावेजात से यह स्पष्ट जाहिर व साबित है कि प्रार्थीनी के पति बद्री प्रसाद के पिता का नाम मूलचन्द है हाल जमाबन्दी मे बद्रीप्रसाद के पिता का नाम गुलाब दर्ज हुआ है वह कम्पयूटर की गलती से हुआ है जो एक क्लेरीकर मिस्टेक है जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे संशोधन होना आवश्यक है गलती सहबन से हुई है उसकी जानकारी प्रार्थीनी को अब हाल मे पटवारी हल्का के द्वारा प्राप्त हुई है जब प्रार्थीनी ने इन्तकाल के लिये आवेदन किया जो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर 539, 541, 544 मे बद्री के पिता का नाम गुलाब दर्ज है जिससे यह आवेदन पत्र बिना किसी देरी के पेश है अतः हाल जमाबन्दी मे खसरा नम्बर 539, 541, 544 मे जो प्रार्थीनी के पति बद्री के पिता का नाम गुलाब दर्ज है उसके स्थान पर मूलचन्द संशोधित करने आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण मे तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट पत्रॉक भू0अ0/2024/121 दिनॉक 08–01–2024 द्वारा अवगत कराया गया किः–

1. मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थिया बतन देवी पत्नि स्व० बद्री प्रसाद जाति कुम्हार निवासी उमरैण तहसील व जिला अलवर के पति बद्री प्रसाद पुत्र मूलचन्द की दिनांक 03.04.2016 को मृत्यु हो चुकी है। रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीयन ग्राम पंयाचत उमरैण पं०स० उमरैण द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई।

2. मुताबिक हाल आनलाईन जमाबंदी वाके ग्राम उमरैण के खाता संख्या 33 में दर्ज ख0न0 539 रकबा 0.27 किस्म चाही 3, 541 रकबा 0.06 किस्म डहरी 1, 544 रकबा 0.17 किस्म चाही 3, बद्री पुत्र मूलचन्द के स्थान पर बद्री पुत्र गुलाब हिस्सा 1द्व2 जाति कुम्हार सा. उमरैण खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

3. मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 हाल ख0न0 539, 541, 544 साबिक ख0न0 160 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा से कायम हुये। मि0 बन्दोबस्त संवत 2051 संलग्न है।

4. मुताबिक मिसल बन्दोबस्त 2051 वाके ग्राम उमरैण में भी खाता संख्या 174 में दर्ज साबिक ख0न0 160 मि० रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा हाल ख0न0 539/0.27, 541/0.06, 544/0.17 कुल किता 03 रकबा 0.50 है0 बद्री पुत्र गुलाव हि. 1/2 कुम्हार सा. उमरैण खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उल्लेखनीय यह है कि भू–प्रबंध संक्रिया के दौरान मिसल बन्दोबस्त 2051 वाके ग्राम उमरैण में भी उक्त ख0न0 में बद्री पुत्र मूलचन्द के स्थान पर ब्रदी पुत्र गुलाब का नाम दर्ज रिकार्ड किया गया। जिसके पश्चात वतर्मान आनलाईन जमाबंदी में भी उक्त खसरा नम्बरानो पर बद्री पुत्र मूलचन्द के स्थान पर ब्रदी पुत्र गुलाब का नाम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है।

5. साबिक राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण संख्या 169 वाके ग्राम साहोडी तहसील अलवर का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि किशोरी लाल पुत्र छोटेलाल सा. उमरैण खातेदार द्वारा साबिक ख0न0 160 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा का बेचान बद्री पुत्र मूला व फूल्या पुत्र सगरू ब.हि.ब. खरीददार खातेदार को किया गया जिसका नामा० संख्या 169 दिनांक 02.06.1977 को स्वीकृत किया गया। नामा० की प्रति संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

6. नामा० स्वीकृत होने के पश्चात जमाबंदी संवत 2033 वाके ग्राम साहोडी में उक्त नामा० संख्या 169 का अमल आया लेकिन ख0न0 160 रकबा 01 बीघा 19 बीघा पर बद्री पुत्र फूला के स्थान पर बद्री पुत्र गुलाब वगै० नाम दर्ज रिकार्ड किया गया।

7. मुताबिक जमाबंदी संवत 2069–72 व हाल आनलाईन जमाबंदी वाके ग्राम सूकल में अन्य ख0न0 639/0.26 532/2200/0.05, 533/0.01, 534/0.64, 535/0.08, 536/0.12, 536/2270/0.01, 540/0.05 पर बद्री/बद्रीप्रसाद पुत्र मूलचन्द का नाम दर्ज था। बद्री पुत्र मूलचन्द की मृत्यु के पश्चात बद्री पुत्र मूलचन्द की विरासत का नामा० संख्या 110 दिनांक 05.08.2016 बत्तन देवी पत्नि बद्री के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ।

8. प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रति में बद्रीप्रसाद पुत्र मूल्या नाम अंकित है।

9. रिपोर्ट अनुसार बद्रीप्रसाद के पिता को मूलचन्द व गुलाबचन्द दोनो नामो से जाना जाता था जिसके कारण राजस्व रिकार्ड में बद्रीप्रसाद के पिता को मूलचन्द व गुलाबचन्द दोनो नामो से दर्ज किया जाना जाहिर आता है।

10. ग्राम साहोडी से ही टूट कर ग्राम सूकल सृजित हुआ है।

प्रकरण में नामा० संख्या 169 वाके साहोडी का अवलोकन करने पर जाहिर आता है कि नामा० में बद्री पुत्र मूला व फूल्या पुत्र सगरु दर्ज किया गया लेकिन उक्त नामा० का जमाबंदी में अमल करते समय ब्रदी पुत्र गुलाब नाम दर्ज किया गया जो उचित प्रतीत नहीं होता है अतः साबिक राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त ख0 न0 539, 541, 544 वाके ग्राम सूकल में प्रार्थिया के पति बद्री के पिता का नाम गुलाब के स्थान पर मूल्या/मूलचन्द किया जाना उचित होगा।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है।

अतः ऐसी स्थिति मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 मे पोषणीय होने के कारण प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम सुकल तहसील अलवर की हाल जमाबन्दी मे खसरा नम्बर 539,

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

541, 544 मे जो प्रार्थीनी के पति बद्री के पिता का नाम गुलाब दर्ज है को कलमजन कर उसके स्थान पर " मूलचन्द " दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरुस्त किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 20-5-24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

[नियम 26]

अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

.... बनाम ....

मुकदमा ....नं० ....सन् ....

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	14-5-24 पत्रावली पेश निर्धारित दिनांक से पूर्व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई पत्रावली में तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है पत्रावली का अवलोकन किया वकील प्रार्थी को सुना पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20-5-24 को पेश होवे। B उपखण्ड अधिकारी अलवर	
	20-5-24 पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया। आज खुले न्यायालय में सुनाया। इस पर पत्रावली आदेश प्रति तहसीलदार अलवर को भिजवाते हुए पत्रावली नक्शा ले काम हो बाद तकमील ल पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। B उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner